संदर्भ संख्याः 3/IID/13944 **6 जून 2020**

आदरणीय श्री सतीश महाना,
माननीय उद्योग मंत्री
उत्तर प्रदेश,

विषय : <u>अमर उजाला द्वारा आयोजित वेविनार में हुई वार्ता के अनुसार प्रदेश के उद्योगों की वर्तमान परिस्थितियों में कठिनाईयॉ तथा उनके निदान के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

अमर उजाला द्वारा आज आयोजित वैविनार में आपके साथ हुई वार्ता का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जैसा आपने इस वैविनार में चाहा था, उत्तर प्रदेश में स्थित उद्योगों खासतौर पर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्तमान कोविड–19 महामारी के कारण हो रही कठिनाईयों तथा उनके समाधान के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैः–

1. **<u>तरलता/धनाभाव की समस्या</u>** : कोविड –19 के कारण लॉकडाउन 2.5 महीने तक चलने से उद्योगों में तरलता/धनाभाव की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जो माल बिका था उसकी पेमेन्ट अभी मिली नही है, कच्चा माल तथा तैयार माल की भी अभी खपत नही हो रही है क्योंकि मॉग अभी बहुत कम है। इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए आई0आई0ए0 का सुझाव है कि :–

   (क) एम0एस0एम0ई0 द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानो/उद्यमों को बेचे गये माल का भुगतान अविलम्ब करवाया जाए।

   (ख) अनेक उद्यमियों के जी0एस0टी0 रिफण्ड रूके हुये है। यह पैसा भी उद्यमी का ही है अतः सरकार जी0एस0टी0 रिफण्ड करवाने का कार्य करे।

   (ग) उद्यमियों द्वारा अनेक मदों में जमानत धनराशि जमा की है। भारत सरकार ने भी यह घोषित किया है कि केन्द्र सरकार के सभी विभाग/उपक्रम इस प्रकार की जमानत राशि को भी कार्य/सप्लाई पूर्ति के अनुपात में उद्यमियों को त्वरित वापिस करेगी। यह निर्णय प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भी लागू किया जाए।

2. **<u>डिमाण्ड एवं सप्लाई चेन वाधित होने की समस्या</u>** : यद्यपि अनलॉक–1 एक जून से प्रारम्भ है परन्तु अभी बाजार पूरी तरह से नही खुले है। उद्योगों का अधिकतम कच्चा माल, कलपुर्जे तथा उपकरण इत्यादि दिल्ली, मुम्बई और गुजरात इत्यादि जगहों से आता है जहॉ कोविड–19 का प्रकोप अधिक है। इसी प्रकार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी लगभग सभी स्थानों पर हॉट–स्पॉट और कन्टेनमेन्ट जोन के कारण औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियॉ अभी अस्त व्यस्त है। यातायात भी अभी कुछ हद तक बाधित चल रहा है।

   केन्द्र एवं राज्य सरकार इस डिमाण्ड एवं सप्लाई चेन को पटरी पर लाने के प्रयास कर रही है परन्तु जिला स्तर पर कही–कही प्रशासन द्वारा उद्यमियों से न मिलकर और मुख्य सचिव के निर्देशों के विपरीत अनावश्यक सतर्कता वरतते हुए कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिये है। जिससे उद्योग एवं व्यवसाय अनावश्यक रूप से बाधित हो रहे है। इसका एक उदाहरण मेरठ शहर है जहॉ मुख्य सचिव के

निर्देशानुसार केवल 40 वार्ड ही कन्टेनमेन्ट जोन घोषित होने चाहिए परन्तु जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी 98 वार्डो को कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित कर दिया है।

3. **दक्ष कामगारों की कमीः** अभी प्रदेश में बाहर के राज्यों से आये कामगारो तथा प्रदेश के अन्दर दूसरे जिलों से उद्योगों में काम करने वाले कामगार पलायन कर चुके है और वे अभी वापिस काम पर नही लौट रहे हैं। ऐसे में अनेक उद्योग अपना उत्पादन/सेवाएँ बढ़ाने की स्थिति में नही है। यद्यपि उद्यमी कामगारों से सम्पर्क कर रहे है परन्तु वे स्वयं अथवा उनके परिवार जन उन्हे काम पर आने से रोक रहे है। ऐसे में कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों की उद्योगों में भारी कमी हो गई है।

   इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आई0आई0ए0 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को काम पर लगाने हेतु एक करार किया है जिस पर आई0आई0ए0 द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्य में प्रदेश सरकार का एम0एस0एम0ई0 विभाग और उद्योग विभाग सहयोग कर रहा है। परन्तु इसमें भी स्किल मैचिंग की समस्याएँ सामने आ रही है। अकुशल कामगारों की आपूर्ति ही कुछ हद तक हो पा रही है।

4. **प्रदेश के निर्यातकों को गेट–वे पोर्ट के नजदीक वाले राज्यों के निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाईः** उत्तर प्रदेश लैण्ड लाक्ड राज्य है अतः प्रदेश के निर्यातकों को अपना निर्यात समान गेट–वे पोर्ट तक पहुँचाने में पोर्ट के नजदीक स्थिति राज्यों की तुलना में बहुत अधिक भाड़ा वहन करना पड़ता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मार्केट डब्लपमेन्ट सहायता स्कीम के अन्तर्गत फ्रेट सब्सिडी प्रदान की जाती है जो बहुत कम है तथा इस स्कीम में कुछ व्यवहारिक कमियॉ भी है। इसके लिए आई0आई0ए0 के निम्नलिखित सुझाव हैः–

   (i) वर्तमान में फ्रेट सब्सिडी जो 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 6000/– है उसे 50 प्रतिशत बिना किसी अधिकतम सीमा निर्धारण के किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के निर्यातक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

   (ii) इनलैण्ड कन्टेनर डिपो (ICD/CFS) से रेलवे द्वारा गेट–वे पोर्ट तक माल पहुँचाने पर अक्सर अधिक समय लगता है। अतः प्रदेश के निर्यातक अपना माल ट्रको द्वारा गेट–वे पोर्ट तक पहुँचाते हैं। परन्तु उपरोक्त फ्रेट सब्सिडी ट्रको द्वारा भेजे गये माल पर नही दी जा रही है। आई0आई0ए0 का सुझाव है कि यह फ्रेट सब्सिडी ट्रको द्वारा भेजे गये माल पर भी दी जानी चाहिए।

   (iii) प्रदेश के अधिकॉश निर्यातको का फुल कन्टेनर लोड नही होता है परन्तु सब्सिडी फुल कन्टैनर लोड पर ही मिलती है। अतः आई0आई0ए0 का सुझाव है कि पार्ट कन्टेनर लोड पर भी फ्रेट सब्सिडी दी जानी चाहिए।

   (iv) पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्यातक दिल्ली अथवा फरीदाबाद इनलैड कन्टेनर डिपों से अपना माल गेट–वे पोर्ट तक भेजते है। इन निर्यातकों को भी सब्सिडी प्राप्त नही होती है। आई0आई0ए0 का प्रस्ताव है कि इन निर्यातकों को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाना चाहिए।

5. **प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड न होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में बाधाः** आई0आई0ए0 विगत अनेक वर्षो से प्रदेश सरकार से आग्रह करता आ रहा है कि यदि औद्योगिक लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कर दिया जाता है तो उससे अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो निम्नलिखित हैः–

   - प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भूमि उपलब्ध नही है। औद्योगिक भूमि फ्री होल्ड करने से उद्यमी अतिरिक्त भूमि दूसरे उद्यमी को उद्योग लगाने हेतु दे सकेगा।

- आज प्रदेश के उद्योग तरलता (धन) की कमी से जूझ रहे है जिसके कारण उद्योग बन्द हो रहे है। ऐसे में उद्यमी द्वारा अतिरिक्त भूमि बेचने से उसे रूग्णता से मुक्ति मिलेगी और वह अपना उद्योग सुचारू रूप से संचालित कर सकेगा। इसके साथ–साथ दूसरा उद्योग भी स्थापित होगा जिससे रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

अतः आई0आई0ए0 का प्रस्ताव है कि प्रदेश में औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय शीघ्र लिया जाए।

6. **जटिल श्रम कानूनों के कारण कठिनाई:** कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में श्रम कानूनों में संशोधन की घोषणा की थी जो सराहनीय कदम था जिसकी दशकों से प्रतिक्षा भी थी। परन्तु अब जानकारी में आया है कि श्रम कानूनों में संशोधन प्रदेश में केवल नई स्थापित होने वाली इकाईयों और वर्तमान इकाईयों द्वारा नये भर्ती किये गये कर्मियों पर ही लागू होंगें। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के उद्यमियों को जटिल श्रम कानूनों से तो मुक्ति नही मिलेगी अपितु एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि एक ही फैक्ट्री तथा प्रदेश में दो प्रकार के श्रम कानून लागू होगें। अतः समस्या और जटिल हो जाएगी।

   इसलिए आई0आई0ए0 का सुझाव है कि सरकार अपने पूर्व के निर्णय जिसमें प्रदेश के सभी उद्योगों के लिए एक समान श्रम कानून संशोधन प्रस्तावित है को ही लागू करने का कष्ट करें।

आशा है आप आई0आई0ए0 द्वारा उद्योगों की कठिनाइयों को कम/दूर करने के लिए हमारे सुझावों/प्रस्तावों को स्वीकार करने की कृपा करेगें।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष